



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2718]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 6, 2013/अग्रहायण 15, 1935

No. 2718]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 2013/AGRAHAYANA 15, 1935

गृह मंत्रालय

( भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय )

आदेश

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2013

**का.आ. 3591(अ).**—नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण तथा राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना), नियमावली, 2003 बनाया है जिसके नियम 4ए के अन्तर्गत उप-नियम (3) में यह कहा गया है कि नागरिकों के पंजीकरण के महारजिस्ट्रार गणना का अवधि तथा समय-सीमा को सरकारी गजट में अधिसूचित करेंगे;

केन्द्रीय सरकार ने नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, 1951 को असम राज्य के लिए अद्यतन करने का निर्णय लिया है;

अतः, अब, नागरिकता (नागरिकता का पंजीकरण तथा राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना), नियमावली, 2003 के नियम 4ए के उप-नियम (3) के प्रावधानों के अनुसार नागरिकों के पंजीकरण के महारजिस्ट्रार एतद्द्वारा अधिसूचित करते हैं कि, असम राज्य में गणना कार्य इस अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से प्रारम्भ कर तीन वर्ष की अवधि के अन्तर्गत पूर्ण होगी।

[फा. सं. 9/5/2009-सी आर डी (एन पी आर)-खण्ड-V]

च. चन्द्रमौलि, नागरिक पंजीकरण के  
महारजिस्ट्रार

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

ORDER

New Delhi, the 5th December, 2013

**S.O. 3591(E).**—Whereas, in exercise of the powers conferred by Section 18 of the Citizenship Act, 1955, the Central Government has made the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003 which provides under sub-rule (3) of rule 4A that the Registrar General of Citizens Registration shall notify the period and duration of the enumeration in the Official Gazette;

And whereas, the Central Government has decided to update the National Register of Citizens, 1951 in the State of Assam;

Now, therefore, pursuant to the provisions of sub-rule (3) of rule 4A of the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the Registrar General of Citizens Registration hereby notifies that the enumeration in respect of the State of Assam shall take place from the date of publication of this notification and shall be completed within a period of three years.

[F.No. 9/5/2009-CRD (NPR)-Vol.V]

C. CHANDRAMOULI, Registrar General of Citizen  
Registration